N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0213 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2024 19:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:40 बजे **Time To (समय तक):** 15:38 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2024 19:22:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY JILL PRIVAHAN ADHIKARI, DHOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RISHI RAJ SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BANWARI LAL SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AADELA ROAD, PURAN BIHAR COLONY, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AADELA ROAD, PURAN BIHAR COLONY, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PAWAN URF PAWAN SHRIWASTAV		पिता:RAMESH CHAND SHRIWASTAV	1. SECTOR 02,SHASTRI NAGAR,DHOLPUR,RAJASTHAN ,INDIA
2	PAWAN URF PAWAN CHNSORIYA SHARMA		पिता:RAKESH KUMAR SHARMA	1. JT ROAD,CHNSORIYA BHAWAN,DHOLPUR,RAJASTH AN,INDIA
3	ANUP AGARWAL		पिता:BHIKHA RAM	1. SNTAR ROAD,KUMERDAN KA BADA,NIHALGANJ,DHOLPUR,R

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,300.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 3,300.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। विषयः- परिवहन विभाग के रिशवत खोर कर्मचारियों को रिशवत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।, महोदय, निवेदन है कि मै पूरन बिहार कालोनी ओडेला रोड धौलपुर का रहने वाला हूं। मैने करीब 10-15 दिने पहले उत्तर प्रदेश से एक टैक्टर मैसी फर्गूषन नं. यू.पी. 80 डीएच 3122 श्री गोधन सिंह पुत्र श्री केशव सिंह से 4,50,000 रूपये में खरीदा था, जिसका रजिस्टेशन नम्बर उत्तर प्रदेश से राजस्थान जिला धौलपुर के जिला कार्यालय धौलपुर से नम्बर चेन्ज करवाने के लिये मैने जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के नाम से फाईल तैयार कर दिनांक 30.08.2024 को भूदेव त्यागी सूचना सहायक को दी तो उसने मेरे से साईट नहीं चल रही कहकर मना कर दिया तथा फाईल अपने पास रख ली। इसके बाद मैं दिनांक 04.09.2024 को श्री भूदेव त्यागी सूचना सहायक से मिला तो उसने मेरे से रजिस्ट्रेशन करने की निर्धारित फीस के अलावा 300 रुपये रिशवत राशि की मांग की गई तथा वहीं पर मुझे श्री पवन चंसौरिया जो प्राईवेट व्यक्ति है जो देवानन्द बैरवा जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर तथा धीरसिंह मीना जी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर दोनों की विभागीय आईडी चलाता है तथा इनकी रिष्वत राशि लेने की दलाली करता है। उक्त दोनों के विभागीय पासवर्ड और आईडी श्री पवन चंसौरिया के पास है। मैंने करीब 2 महीने पहले एक ट्रक की फाईल का काम करवाया था। जिस काम के मेरे से अब श्री पवन चंसौरिया प्राईवेट व्यक्ति 400 रुपये स्वंय के लिये तथा 100 रुपये श्री संदीप शर्मा जो प्राईवेट व्यक्ति है जो फाईल चढाने का काम करता है उसके लिये रिष्वत राशि मांगता है उक्त दोनो जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में दलाली का कार्य करते है तथा ट्रक वाली फाईल श्री पवन श्रीवास्तव बाबू मेरे से श्री पिन्टू उर्फ अबिनाश मिश्रा प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत 5000 रुपये की मांग कर रहे है तथा कहते है कि पहले तेरी ट्रक की फाईल करवाई थी उसके 5000 रुपये दे तब ही डीटीओ साहब तेरे ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी काम करेंगे तथा अब मुझे भूदेव त्यागी सूचना सहायक टैक्टर के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य करने के 300 रुपये तथा श्री देवेन्द्र मुदगल बाबू, श्री पवन श्रीवास्तव 5000 रुपये पूर्व की ट्रक फाईल का काम करने के रुपये स्वंय के लिये श्री पिन्टू मिश्रा प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों एवं दलाल को रिष्वत राशि नहीं देकर इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और नां ही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है। हस्ताक्षर प्रार्थी- रिषीराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा जाति बा्रहमण, उम्र 26 साल निवासी पूरन विहार कॉलोनी ओंडेला रोड धौलपुर। मो. नं. [redacted], दिनांक- 05.09.2024, हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. ह0 स्वतंत्र गवाह-बैनीप्रसाद वर्मा, लक्ष्मीनारायण सेन दिनांक 23.09.2024, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनाक 05.09.2024 को समय 03.40 पी. एम. पर परिवादी श्री रिषीराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा जाति बा्रहमण, उम्र 26 साल निवासी पूरन विहार कॉलोनी ओंडेला रोड धौलपुर जिला धौलपुर नें उपस्थित कार्यालय होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के नाम सम्बोधित करते हुये परिवहन विभाग के रिश्वतखोर कर्मचारी को रिष्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेष की है, चूंकि भ्र.नि.ब्यूरो करौली पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के पास होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री रिषीराज शर्मा से उस द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं कह हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों या किसी कहने आदि पर नहीं बल्कि बैध कार्य को करने में रिष्वत मांगे जाने पर स्वयं की स्वेच्छा से करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर अपना एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया, तथा परिवादी ने अपने ट्रेक्टर से सम्बन्धित समस्त कागजात स्वयं के पास ना होकर परिवहन

कार्यालय धौलपुर में ही होना बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की गई दरियाफ्त से मामला रिष्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिष्वत मांग सत्यापन कराने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि इस समय मैं कैलादेवी परिवार के साथ जा रहा हूं ,जहां से वापस आते हुये रात्रि का समय हो जायगा तथा धौलपुर यहां से काफी दूरी पर भी है जाने आने मे ज्यादा समय लगेगा तब तक आरोपीगण के कार्यालय में मौजूद मिलने की संभावना कम है। इसलिए आप दिनांक 06.09.2024 को आपके किसी कर्मचारी को वाईस रिकॉर्डर लेकर धौलपुर भेज देना मैं वहां पर मिल जाउंगा और रिष्वत मांग सत्यापन आरोपीगणों से करा दूंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कार्यालय से रुकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 06.09.2024 को समय 08.00 ए.एम. पर श्री समय सिंह हैड कानि 45 को परिवादी श्री रिषीराज शर्मा से धौलपुर बस स्टैण्ड पर पहुंचकर उससे सम्पर्क कर रिष्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत देकर विभागीय वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के खाली होना सुनिष्चित कर जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह धौलपुर रोडवेज बस स्टैण्ड पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर उसके हमराह गन्तव्य स्थान पर जाकर आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली रिष्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के चालू कर अपना परिचय देकर व परिवादी का परिचय बोलवाकर चालू हालत में वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी को आरोपीगण के पास रिष्वत मांग सम्बन्धी वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु मय वाईस रिकॉर्डर के रवाना करे तथा संभव हो सके तो परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करे एवं आरोपीगण को देखने का प्रयास करें रिकॉर्ड वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर बाद वार्ता परिवादी के वापस आने पर वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के परिवादी से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख परिवादी के हमराह वापस कार्यालय आकर उसी स्थिति में पेश करने की हिदायत कर समय 08.15 एएम पर श्री समय सिंह हैड कानि को मय वाईस रिकॉर्डर के परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराते हुये एसीबी कार्यालय करौली से धौलपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक दिगर कार्य से भरतपुर गया हुआ वापस कार्यालय आने पर श्री समय सिंह हैड कानि एवं परिवादी श्री रिषीराज कार्यालय हाजिर मिले तथा परिवादी ने बताया आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री समय सिंह जी मुझे आज दिनांक 06.09.2024 को समय करीब 12.05 पीएम पर मेरे वायदे के अनुसार धौलपुर रोडवेज बस स्टैण्ड पर मिले जिनको मैं मोटरसाईकिल पर विठाकर कर परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर पहुचा। जहां पर श्री समय सिंह जी ने वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित अपनी परिचय बोलकर मुझे दिया तथा मेंने अपना परिचय बोलकर वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू हालत में लेकर परिवहन विभाग कार्यालय में अन्दर चला गया तथा श्री समय सिह जी परिवहन कार्यालय के परिसर में खिडकियों के पास खडे हो गये जहा से कार्यालय अन्दर का सारा नजारा दिखता है। मैंने कार्यालय के अन्दर कमरां नम्बर 7 में जाकर श्री भूदेव त्यागी सूचना सहायक से अपने काम के बारे मे बात की तो उसने मेरे से मेरा काम करने की एवज उसने मुझसे 250 रुपये मांगे मेरे कम करने के निवेदन पर 10-20 रुपये कम दे देने की कहा। इसके बाद मैं कमरा नम्बर 5 मैं जाकर देवेन्द्र मुदगल जी कनिष्ठ सहायक से मिला और उनसे पुराने ट्रक से सम्बन्धित कार्य के बारे में बात की तो उसने मेरे से 4000 रुपये मांगे तथा मेरे कम कराने के निवेदन करने पर 3000 रुपये लेने की कहा और कहा की 500 रुपये पहले ही कम कर दिये है। इसके बाद मैं कमरा नम्बर 6 में जाकर दलाल श्री पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति से जाकर मिला और उससे अपने काम के बारे मे बात की तो उसने ट्रक की फाईल के 500 रुपये मांग की तथा मेरे निवेदन करने पर वह 300 रुपये में राजी हो गया और उसी समय मेरे से 300 रुपये ले लिये। उसी कमरे में पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति का दलाल संदीप शर्मा जो कि परिवहन विभाग के कार्यालय में ट्रकों की फाईलो को रिकॉर्ड में चढाता है तथा लाईसेन्स ऑनलाइन करता है तथा बाबू व परिवहन विभाग के अधिकारी देवानन्द बैरवा जिला परिवहन अधिकारी की आईडी से चलाता है से जाकर मिला तो उसने मेरे से पहली फाईल के मेरे से 100 रुपये मांग की तथा उसी समय मेरे से 100 रुपये प्राप्त कर लिये। मेरी इन आरोपित कर्मचारी से अलग अलग बाते हुई जो मेने इस वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करने के बाद परिवहन कार्यालय से बाहर आया तथा मेरे पीछे पीछे श्री समय सिंह जी आ गये तथा निर्जन स्थान पर मेरे से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया फिर मेंने समय सिह जी को सारी बाते बताई। उसके बाद श्री समय सिंह द्वारा जरिये मोबाईल आपसे बात की तथा मेरे द्वारा भी आपको तथ्यों के बारे में अवगत कराया तथा आपके कहने पर मैं और समय सिंह जी मेरी निजी कार से धौलपुर से रवाना होकर आपके कार्यालय एसीबी करौली पर समय 03.00 पीएम पर आ गये। इसके बाद परिवादी के उक्त कथनों की श्री समय सिंह हैड कानि 45 ने पूछने पर ताईद की एवं बताया कि मेरे द्वारा परिवहन कार्यालय की खिडकियों से झांककर मेने परिवादी को आरोपी गणों से बात करते हुये देखा गया। तत्पष्चात समय सिंह से विभागीय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड लगे सहित जरिये फर्द प्राप्त कर रिकार्ड वार्ता को कम्प्यूटर मे टेबल स्पीकर कनेक्ट कर कम्प्यूटर में वाईस रिकार्डर को कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में श्री भूदेव त्यागी सूचना सहायक द्वारा 250 रुपये की मांग करना तथा देवेन्द्र मुदगल कनिष्ठ सहायक द्वारा 3 दे देना तथा 500 रुपये पहले ही कम करना कहा गया, दलाल श्री पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति द्वारा 500 रुपये की मांग कर 300 रुपये प्राप्त करना, दलाल संदीप शर्मा द्वारा 100 रुपये की मांग करना तथा 100 रुपये प्राप्त करना पाया गया। आरोपी देवेन्द्र मुदगल कनिष्ठ सहायक द्वारा स्पष्ट रिष्वत राशि की मांग करना नहीं पाया जाकर 3 मात्र अंक बोला है तथा परिवादी को आरोपी

देवेन्द्र मुदगल कनिष्ठ सहायक से एवं पवन श्री वास्तव से पुनः रिष्वत मांग सत्यापन हेतु बात करने के लिये कहा गया तो परिवादी ने कहा की शनिवार तथा रविवार की अवकाश होने तथा दिनांक 09.09.2024 का धौलपुर में मचकुण्ड का मेला होने से स्थानीय अवकाश है इसलिए मैं दिनांक 10.09.2024 मैं पुनः श्री देवेन्द्र मुदगल कनिष्ठ सहायक व श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक से रिष्वत मांग सत्यापन करा दूंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 10.09.2024 को कार्यालय में आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने कहा की आप किसी कर्मचारी को धौलपुर भिजवा देना मैं उसको धौलपुर मिल जांउगा तथा रिष्वत मांग सम्बन्धी वार्ता आरोपीगण की रिकार्ड कर लूंगा। तत्पष्चात परिवादी को समय 06.10 पीएम पर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 10.09.2024 को समय-08.17 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री रिषी राज शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आया एवं परिवादी ने बताया कि मैं धौलपुर हूं आप किसी कर्मचारी को धौलपुर भेज दो मैं उनको धौलपुर मिल जाउंगा तथा जिला परिवहन विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी/अधिकारी से रिष्वत मांग सत्यापन करा दूंगा। इस पर समय 09.10 ए.एम. पर श्री समय सिंह हैड कानि 45 को रिष्वत मांग सत्यापन एवं परिवादी श्री रिषी राज शर्मा से धौलपुर जाकर सम्पर्क करने हेतु मय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के जरिये फर्द सुपुर्द कर धौलपुर रवाना किया गया जो उसी रोज समय 04.10 पी.एम. पर धौलपुर से वापस आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर रोडवेज बस स्टैण्ड धौलपुर पहुंचा जहा पर परिवादी श्री रिषीराज मौजूद मिला जहां से परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से मैं तथा परिवादी बस स्टेण्ड से रवाना होकर जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर परिसर में पहुचे जहां पर मैनें आपके निर्देशानुसार अपना नाम व परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के चालू हालत में परिवादी को सुपुर्द किया परिवादी श्री रिषीराज ने अपना नाम बोलकर वाईस रिकार्डर मेरे से प्राप्त करने पर परिवादी को आरोपीगणों के पास रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना कर दिया तथा पास में खडा होकर परिवादी पर नजर रखने लगा इसके बाद परिवादी अलग-अलग आरोपीगणों से वार्ता करने के बाद वापस आया जिससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी से पूछने पर बताया कि मेरी आरोपीगणों से रिष्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हुई है जो इस वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। परिवादी से एसीबी चैकी करौली पर चलने की कहने पर बताया कि मेरे घर पर जरुरी काम है इसलिए मैं अभी आपके साथ करौली नहीं चल सकता मैं कल दिनांक 11.09.2024 को करौली आपके ऑफिस में आ जांउगा। इस पर हैड कानि ने अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित मुझे पेश किया। जिसको कम्प्यूटर में कनेक्ट कर स्पीकर की सहायता से सुना गया तो आरोपीगणों द्वारा परिवादी से उसके काम रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी वार्ता होना व 3000 रुपये रिष्वत की मांग करने व परिवादी के निवेदन करने पर 2500 रुपये में लेना तय हुआ। चूंकि परिवादी नही है इसलिए रिकार्ड वार्ता में आबाज की पहचान नहीं की जा सकती कि आरोपी की आवाज कौनसी है इस पर वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के अपने चेम्बर में रखी आलमारी में सुरिक्षत रखकर आलमारी को लोक किया गया। इसके बाद दिनांक 11.09.2024 को समय 02.00 पीएमः पर परिवादी श्री रिषीराज शर्मा कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि दिनांक 10.09.2024 को आपके द्वारा भेजे गये समय सिंह हैड कानिस्टेबल से धौलपुर बस स्टेण्ड पर सम्पर्क कर उन्हें अपने साथ मोटरसाईकिल से लेकर परिवहन कार्यालय धौलपुर पंहुचा जहां एकान्त स्थान पर समय सिंह जी ने मुझे वाईस रिकार्डर कार्ड लगा सहित चालू कर अपना परिचय बोलकर एवं मेरा परिचय बुलवाकर मुझे चालू हालत में दिया जिसे मैने अपने पास रख लिया और परिवहन कार्यालय के अन्दर चला गया तथा समय सिंह जी कार्यालय के बाहर ही रूक गये मैने परिवहन कार्यालय में जाकर सबसे पहले भूदेव त्यागी बाबू से वार्ता की तो उसने 400 रूपये मांगे तथा मेरे द्वारा ज्यादा है की कहने पर उसने कहा 10-20 कम देने की बात कही फिर मैने पवन श्रीवास्तव बाबू जी से अपने टैक्टर के संबंध में बात की तो उन्होने अनूप से बात करने को कहा तो मैने अनूप प्राईवेट व्यक्ति से बात की तो उसने 3000 रूपये पवन श्रीवास्तव बाबू जी के लिये एवं 200 अपने लिये कुल 3200 रूपये मांगे तथा फिर पवन श्रीवास्तव से बात करने पर उन्होने दो रूपये कम दे जाने की कहकर 2800 रूपये दे देने को कहा तथा मेरे द्वारा 2500 रूपये देने की कही तो कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया उसके बाद देवेन्द्र से बात कर 2500 रूपये की कहा किन्तु उसने कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया उसके बाद उत्तमचन्द बाबू जी से वार्ता की तो उन्होने 1000/-रूपये दे देने को कहा मेरे कम करने की कहने पर उन्होने कहा कि कछु कम क्यो देगो , मेरी उपरोक्त से जो वार्ताऐं हुई उसको मैने वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और वापस बाहर आकर के वाईस रिकार्डर समय सिंह जी को दे दिया था जिन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया, उसके बाद समय सिंह जी ने मुझे करौली चलने को कहा तो मैने घर पर जरूरी कार्य होने से आज दिनांक 11.09.2024 को आने को कहा था। फिर समय सिंह जी मुझे छोडकर धौलपुर से करौली के लिये रवाना हो गये थे। इसके बाद वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित कार्यालय आलमारी से निकालकर लेपटोप की मदद से चालू कर एसडी कार्ड में दिनांक 10.09.2024 की रिकार्ड वार्ता को सुना किन्तु स्पष्ट वार्ता का होना नहीं पाया गया, परिवादी को अपने काम के सम्बन्ध में आरोपीगण से रिष्वत की मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता कराने को कहा तो परिवादी ने शीघ्र ही आरोपीगण से रिष्वत मांग संबंधी स्पष्ट वार्ता कराने को कहा गया, जिस पर वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित कार्यालय आलमारी में रख लॉक किया गया और परिवादी को बाद हिदायत समय करीब 3.00 पीएम पर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 19.09.2024 को समय 06.06 पी.एम. पर परिवादी श्री रिषीराज शर्मा ने अपने

मोबाईल फोन नम्बर-[redacted] से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर-[redacted] पर कॉल कर बताया कि कल दिनांक 20.09.2024 को संदिग्ध आरोपी श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक से जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में मेरे टैक्टर की फाईल के संबंध में रिष्वत संबंधी स्पष्ट वार्ता हो जायेगी तथा मुझे कुछ घरेलू कार्य है जिसके चलते मै आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूं आप अपना कोई कर्मचारी वाईस रिकार्डर सहित धौलपुर भिजवा दें जिससे मै सम्पर्क कर उससे वाईस रिकार्डर लेकर संदिग्ध आरोपीगण के पास जाकर रिष्वत मांग संबंधी स्पष्ट वार्ता कर रिकार्ड कर लूंगा। इस पर परिवादी को दिनांक 20.09.2024 को रोडवेज बस स्टेण्ड धौलपुर पर इस कार्यालय के श्री समय सिह हैड कानि0 व श्री केषवदेव शर्मा कानि0 से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये तथा दिनांक 20.09.2024 को समय 07.00 एएमः पर कार्यालय अलमारी से विभागीय वाईस रिकार्डर पैन्ड्राईवनुमा बरंग सफेद निकालकर उसमे पूर्व में दिनांक 06.09.2024 व 10.09.2024 की रिष्वत मांग संबंधी वार्ताऐं रिकार्ड है जो फाईल फोल्डर आरईसी 00001 अवधि 06 मिनट 14 सैकण्ड, आरईसी 00002 अवधि 05 मिनट 12 सैकण्ड, आरईसी 00003 अवधि 15 मिनट 13 सैकण्ड, 00007 अवधि 32 मिनट 25 सैकण्ड, 00008 अवधि 07 मिनट 16 सैकण्ड में रिकार्ड है को ही उक्त वाईस रिकार्डर में डालकर श्री समय सिंह हैड कानि0 नम्बर 45 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी रिषी राज शर्मा से उसके कथनानुसार गन्तव्य स्थान रोडवेज बस स्टेण्ड धौलपुर पहुचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार उसको हमराह लेकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर एवं उसके द्वारा बताये हुये स्थान पर जाकर संदिग्ध आरोपी श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक एवं अन्यों के पास परिवादी के जाने से पहले विभागीय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं वाईस रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक एवं अन्यों के पास भेजकर आरोपी श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक द्वारा की जा रही रिष्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय सिंह हैड कानि0 व केशवदेव कानि0 को समय करीब 08.00 एएम पर रवाना धौलपुर किया गया, इसके बाद उसी रोज समय 06.00 पीएम पर श्री समय सिंह हैड कानि.0 45 मय श्री केशवदेव कानि0 नम्बर 600 उपस्थित कार्यालय आये एवं समय सिंह हैड कानि0 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै व श्री केशवदेव कानि0 600 ब्यूरो कार्यालय करौली से मय वाईस रिकार्डर रवाना होकर करीब 12.05 पीएम पर रोडवेज बस स्टेण्ड धौलपुर,पहुंचे एवं मैने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी रिषीराज शर्मा से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] को मिलाकर सम्पर्क किया तो परिवादी ने शीघ्र रोडवेज बस स्टेण्ड पर मिलने को कहा तथा परिवादी का इन्तजार किया तो परिवादी कुछ समय के बाद मुझे अपनी मोटरसाईकिल सहित बस स्टेण्ड धौलपुर पर आकर मिला, जिस पर मै व केशव देव कानि0 परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर बैठकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर से पहले स्थित पुलिस थाना सदर पहुंचे और रोड के एक साईड में मोटरसाईकिल को खडा कर मैने अपने पास से विभागीय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम एवं वाईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी को देकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर आरोपी के पास भेजा जो अपनी मोटरसाईकिल को लेकर टेप रिकार्डर सहित कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के अन्दर चला गया, तथा मै व केशवदेव कानि0 दोनो कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर परिसर में ही आस पास खडे होकर परिवादी पर नजर बनाये खडे रहे। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल को परिवहन कार्यालय परिसर में खडी करके अन्दर चला गया और करीब 30-35 मिनट के बाद परिवादी अन्दर से बाहर आया और अपनी मोटरसाईकिल को लेकर कार्यालय से बाहर की तरफ चला गया जिसके पीछे-पीछे मै और केशव देव कानि0 दोनो आ गये जहां रोड के साईड में परिवादी ने अपने पास से विभागीय वाईस रिकार्डर निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि पवन श्रीवास्तव बाबू जी के कमरे में अनूप प्राईवेट व्यक्ति बैठा मिला पवन श्रीवास्तव बाबू जी नहीं मिले अनूप ने मुझे मेरे टैक्टर के रजिस्ट्रेशन की फाईल पवन श्रीवास्तव बाबू जी के कमरे की आलमारी से निकालकर रसीद कटवाकर लेकर आने के लिये दी जिस पर मैने 2500/-रू. की रसीद कटवाकर फाईल वापस लाकर पवन श्रीवास्तव बाबू जी के कमरे में बैठे हुये अनूप प्राईवेट व्यक्ति को दे दी है, पवन श्रीवास्तव बाबूजी से उनके कार्यालय में नहीं आने से बात नहीं हुई है, वह कुछ समय बाद कार्यालय में आयेगे तब उनसे रिष्वत की मांग के संबंध में स्पष्ट बार्ता हो जायेगी। इसके करीब 01 घंटे के बाद परिवादी द्वारा जानकारी कर पवन श्रीवास्तव बाबू के कार्यालय में आ जाने के बारे में बताने पर मेरे द्वारा वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित चालू करके परिवादी को देकर वापस आरोपीगण के पास भेजा गया जो अपनी मोटरसाईकिल को लेकर परिवहन कार्यालय के अन्दर चला गया तथा मै व केशवदेव दोनो भी उसके पीछे पीछे चले गये परिवादी मोटरसाईकिल को बाहर खडी करके परिवहन कार्यालय के अन्दर चला गया तथा मै व केशवदेव दोनो परिवहन कार्यालय परिसर में ईधर उधर अपने आपको छिपाते खडे रहे। कुछ समय के बाद परिवादी कार्यालय से बाहर आया और मोटरसाईकिल को लेकर सदर थाने की तरफ चला गया फिर

हम दोनो भी उसके पीछे पीछे.आ गये, परिवादी ने रोड के साईड में मोटरसाईकिल खडी करके अपने पास से वाॅईस रिकार्डर निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने बन्दर कर बिना छेडछाड किये अपने पास रख लिया उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि उसकी संदिग्ध आरोपी श्री पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक से टैक्टर रजिस्ट्रेशन के संबंध में रिष्वत मांग संबंधी स्पष्ट वार्ता हो चुकी है जिसने मुझसे मेरे निवेदन पर 3000/-रूपये रिष्वत की मांग की है, और टैक्टर की फाईल उसने अपने पास रख ली है, मैने मांगे हुये रूपये सोमवार को देने की कहा है, मेरे व पवन श्रीवास्तव के बीच में जो रिष्वत मांग के संबंध में बात हुई है उसे वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी ने कहा कि मुझे आवशयक कार्य से घर जाना जरूरी है तथा आरोपी पवन श्रीवास्तव द्वारा मांगी गई 3 हजार रूपये की राषि का इन्तजाम भी करना है, तथा दिनांक 22.09.2024 की शाम को आरोपी द्वारा मांगी गई रिष्वत राशि का इन्तजाम कर मै आपके कार्यालय करौली में हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपसे वार्ता की एवं परिवादी से वार्ता कराई तत्पष्चात आपके निर्देशानुसार मै व कैशवदेव कानि0 व परिवादी मोटरसाईकिल से रोडवेज बस स्टेण्ड धौलपुर आये जहां से परिवादी को रवाना कर जरिये बस रवाना होकर मै व कैशवदेव कानि0 वापस आये हैं। श्री केशव देव कानि0 600 ने पूछने पर हैड कानि0 समय सिंह के कथनों को सही बताया। इस पर समय सिंह हैड कानि0 45 से विभागीय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कर एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर आरईसी00007, आरईसी00008 में रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसके टैक्टर की रजिस्ट्रेशन फाईल पर रजिस्ट्रेशन संबंध कार्यवाही करने के बदले में 3000/-रूपये रिष्वत राशि की परिवादी के निवेदन पर मांग करना स्पष्ट पाया गया है। वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय अलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 22.09.2024 को समय 05.30 पीएम पर परिवादी रिषीराज शर्मा उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि वह संदिग्ध आरोपीगण द्वारा मांगी हुई रिष्वत राशि एवं दिनांक 20.09.2024 को टैक्टर रजिस्ट्रेशन फाईल की परिवहन विभाग द्वारा काटी गई 2500/-रू. की रसीद की फोटो प्रति साथ लेकर आया हूं,, परिवादी ने पूछने पर रंनिग नोट दिनांक 20.09.2024 में श्री समय सिंह हैड कानि0 द्वारा बताये गये अंकित कथनों को पढकर उन्हें सही सही होना बताया, एवं बताया कि रिष्वत राषि लेने के बाद श्री पवन श्रीवास्तव बाबू मेरे टैक्टर की फाईल पर साईन करेगा, उसके बाद पवन चंसौरिया (डी.टी.ओ. एवं इन्सपैक्टरों की आईडी से कार्यालय में वाहनों के नम्बरों को एप्रूबल करने का कार्य करने वाला प्राईवेट व्यक्ति) मुझसे मेरे टैक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर को एप्रूबल करने के 300 ररुपये रिष्वत में मांग कर प्राप्त करेगा बिना पैसे लिये वह रजिस्ट्रेशन नम्बर एप्रूबल नहीं करेगा, इसलिये मै पवन चंसौरियो को भी रिष्वत में देने वाली राषि 300/- रूपये साथ लाया हूं। परिवादी ने अपने पास से दिनांक 20.09.2024 को अपने टैक्टर रजिस्ट्रेशन संबंधी कटवाई हुई 2500/-रूपये की रसीद की फोटो प्रति स्वप्रमाणित कर पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया, तथा परिवादी को रात्रि में कार्यालय में ठहरने की हिदायत देकर कार्यालय में ही ठहराया गया। इसके बाद दिनांक 22.09.2024 को ही समय 05.20 पीएमः पर ट्रैप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवशयकता होने से दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् श्री इन्द्रेश तिवारी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करौली से मोबाईल पर वार्ता कर उनके पदनाम से तहरीर क्रमांक 1149/22.09.2024 जारी कर प्राचार्य के मोबाईल पर संचालित व्हाटासएप पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से समय करीब 05.58 पीएम पर व्हाटसएप किया गया एवं मोबाईल पर समय 05.59 पीएम पर वार्ता कर तहरीर की मूल प्रति प्रातः कार्यालय में भिजवाने को कहा गया जिस पर प्राचार्य द्वारा दिनांक 23.09.2024 को प्रातः 07.00 एएम पर दो कार्मिक बतौर गवाह भिजवाने हेतु कहा गया। इसके बाद दिनांक 23.09.2024 को समय 07.00 एएम पर कार्यालय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान करौली से पाबन्द शुदा दो कार्मिक कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के पास आये एवं बताया कि वह प्राचार्य महोदय के आदेश से आपके कार्यालय में आये है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो कार्मिकों से उनके नाम पते मय मोबाईल नम्बर सहित पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः बैनीप्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान करौली जिला करौली (मो.नं. [redacted]), व लक्ष्मीनारायण सैन सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान करौली जिला करौली (मो.नं. [redacted]) होना बताया। तत्पश्चात दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री रिषी राज शर्मा से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा परिवहन विभाग धौलपुर कार्मिकगणों के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 05.09.2024 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। इसके बाद समय 07.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी रिषीराज शर्मा के सामने मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय की अलमारी से वाईस रिकार्डर (पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित) जिसमें परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य दिनांक 06.09.2024 व 10.09.2024 व 20.09.2024 को रूबरू हुई रिष्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर एसडी कार्ड के फाईल फोल्डरों में रिकार्ड

रिष्वत मांग संबंधी वार्ताओं को टेविल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया एवं रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण श्री केशव देव कानि0 नम्बर 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री विष्णु सिंह कानि0 135 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटाप की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-ए-1 एवं एक मुलजिम प्रति डीबीडी राईटेक्स कम्पनी मार्क-ए-2 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी राईटेक्स कम्पनी मार्क-ए-3 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-ए-2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी को वाईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-ए अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा सील्ड शुदा एसडी कार्ड मार्क-ए, पैनड्राईव मार्क-ए-1, डीबीडी मार्क-ए-2 को श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 10.40 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी रिषीराज शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री पवन कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को दी जाने वाली रिश्वती राशि 3,000/-रूपये एवं दूसरे संदिग्ध आरोपी श्री पवन चंसौरिया (डी.टी.ओ. एवं इन्सपैक्टरों की आईडी से कार्यालय में वाहनों के नम्बरों को एप्रूबल करने का कार्य करने वाला प्राईवेट व्यक्ति) को उसकी मांग अनुसार दी जाने वाली रिष्वत राषि 300/-रूपये पेश करने की हिदायत देने पर परिवादी रिषीराज शर्मा द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री पवन कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के छः नोट कुल स3, 000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्द नोट में अंकित करवाया गया तत्पष्चात परिवादी रिषीराज शर्मा ने हिदायत देने पर संदिग्ध आरोपी श्री पवन चंसौरिया (डी.टी.ओ. एवं इन्सपैक्टरों की आईडी से कार्यालय में वाहनों के नम्बरों को एप्रूबल करने का कार्य करने वाला प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत के रूप में उसकी मांग अनुसार दिये जाने वाले 100-100 रूपये के तीन नोट कुल 300/-रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेष किये जिनका विवरण भी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पष्चात श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 3000/-रूपये एवं 300/रूपये कुल 3300/-रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी रिषीराज शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया । इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के छः नोट कुल 3,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी श्री पवन कुमार श्रीवास्तव बाबू को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये लोअर की सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर एवं फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 100-100 रूपये के 03 नोट कुल 300/-रूपये के नोट दूसरे संदिग्ध अरोपी श्री पवन चंसौरिया (डी.टी.ओ. एवं इन्सपैक्टरों की आईडी से कार्यालय में वाहनों के नम्बरों को एप्रूबल करने का कार्य करने वाला प्राईवेट व्यक्ति) को उसकी मांग अनुसार दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये लोअर की सामने की बाया बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावशयक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही अलग अलग निकालकर उन्हें देवे तथा आरोपीगण उक्त रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिष्वत प्राप्त करने पर अपने बाहर आकर सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकाल कर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में लगे हुये आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बाक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गवाह से ही प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिस हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो

पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बाक्स में स्वतंत्र गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ताओं को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उसमें नया खाली एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी लगाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया जाकर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनाफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। इसके बाद समय 11.30 एएम पर कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोड कर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को अलग-अलग सैम्पू साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर श्री अजय कुमार एएसआई, श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70, श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135, गोपेन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 277, श्री कपिल सिंह कानि0 168, को मय ट्रेप बौक्स, दो सरकारी लेपटोप, मय प्रिंटर, टेबिल स्पीकर आदि सामान सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी नम्बर आरजे-14 यूई-0815 के मय कानि0/चालक श्री बृजेष कुमार के धौलपुर के लिये आगे आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज, मय परिवादी रिषीराज शर्मा एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मीनारायण सैन सहायक प्रषासनिक अधिकारी व श्री बैनीप्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक एवं स्टाफ सदस्यों श्री समय सिंह हैड कानि0 नम्बर 45, श्री राकेश सिंह कानि0 नम्बर 268, व श्री केशवदेव कानि0 600 मय विभागीय बीडीयो कैमरा कैनन कम्पनी का मैमोरी कार्ड डला सहित प्राईवेट वाहन कार से लेकर एसीबी कार्यालय करौली से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार धौलपुर के लिये वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय 03.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के धौलपुर में बाईपास होता हुआ रीको एरिया में पहुंचा जहां पर परिवादी रिषीराज शर्मा द्वारा अपने मिलने वाले को फोन कर अपनी मोटरसाईकिल मंगवाई गई जिस पर उक्त मोटरसाईकिल पर परिवादी रिषीराज शर्मा को एवं उसके हमराह श्री समय सिंह हैड कानि0 45 को एवं श्री केशवदेव कानि0 600 को बैठाकर साथ लेता हुआ मन पुलिस निरीक्षक रीको एरिया होता हुआ कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के नजदीक पहुंचा एवं परिवहन कार्यालय से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर रोड के एक साईड में वाहनों व मोटरसाईकिल को रूकवाकर खडा हुआ तथा परिवादी को उसके हमराह समय सिंह हैड कानि0 व केशवदेव कानि0 के मोटरसाईकिल से आरोपीगण के पास परिवहन कार्यालय धौलपुर के लिये रवाना किया गया तथा उनके पीछे श्री सुमेर सिंह हैड कानि0, श्री राकेश सिंह कानि0, कपिल सिंह कानि0, श्री विष्णु सिंह कानि0, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 को वाहनों से उतार कर पैदल-पैदल रवाना कर वाहनों में चालक बृजेश कुमार व अजय कुमार एएसआई को बाद हिदायत छोडा जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, के परिवहन कार्यालय धौलपुर के लिये पैदल-पैदल रवाना हुआ, परिवादी व समय सिंह हैड कानि व केशवदेव कानि0 मोटरसाईकिल से आगे आगे चलकर परिवहन कार्यालय के पास पहुंचे तथा मोटरसाईकिल से समय सिंह हैड कानि0 व केशवदेव कानि0 उतर गये तथा परिवादी मोटरसाईकिल को लेकर परिवहन कार्यालय के अन्दर चला गया तथा उसके पीछे-पीछे समय सिंह हैड कानि0 व केषवदेव कानि0 भी चले गये तथा शेष ट्रेप पार्टी सदस्य भी परिवहन कार्यालय परिसर में चले गये और ईधर उधर खडे हो गये तथा मन पुलिस निरीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवहन कार्यालय के आस-पास अपने आपको छिपाते हुये खडे होकर परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगा। इसके बाद समय 03.38 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री रिषीराज शर्मा ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये काल कर पूर्व निर्धारित ईशारे की सूचना दिये जाने पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यो को साथ लेकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के चेनल गेट से होकर अन्दर पहुचां तो परिवादी कार्यालय के अन्दर प्रथम मंजिल पर जाने की सीढियों पर खडा मिला, जिससे वाईस रिकार्डर(पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित) प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पष्चात् परिवादी रिषिराज शर्मा ने बताया कि प्रथम मंजिल स्थित कमरा नम्बर 09 के अन्दर कुर्सी पर बैठे हुये पवन श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक ने मेरे टैक्टर के रजिस्ट्रेशन की फाईल पर हस्ताक्षर कर रजिस्ट्रेशन एप्रूबल हेतु भिजवाने के लिये अपनी मांग अनुसार 3000/-रूपये रिश्वत में मांग कर अनूप अग्रवाल प्राईवेट व्यक्ति को देने के लिये कहा जिस पर मैने अनूप अग्रवाल का मोबाईल नम्बर लेकर उसको फोन कर पवन बाबूजी के पास उनके कमरे में बुलाया जिस पर अनूप अग्रवाल पवन श्रीवास्तव बाबू जी के कमरे में आया जिसको पवन

श्रीवास्तव बाबूजी के कहने पर उनके सामने 3000 रूपये मैने अपने पास से निकालकर दे दिये है, पवन श्रीवास्तव और अनूप अग्रवाल उपर वाले कमरा नम्बर 09 के अन्दर बैठे हुये है रूपये देने के बाद टैक्टर रजिस्ट्रेशन की फाईल पर अपने हस्ताक्षर कर पवन श्रीवास्तव ने मुझे मेरी फाईल दी है जिसे नीचे कमरा नम्बर 06 में एप्रूबल हेतु श्री पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति जो जिला परिवहन अधिकारी व इन्सपैक्टरों की आईडी से रजिस्ट्रेशन एप्रूबल का काम करता है को दी तो पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति ने एपूबल करने के 300/-रूपये मुझसे मांगकर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी शर्ट की सामने की बांयी जेब के अन्दर रख लिये है वह भी अपने कमरे के अन्दर कुर्सी पर बैठा हुआ हे. तथा मेरे टैक्टर की फाईल भी उसकी के पास है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवहन कार्यालय के नीचे वाले कमरा नम्बर 6 में बैठे हुये पवन चंसोरिया नामक व्यक्ति को डिटेन करने के लिये जाप्ता के कपिल सिंह कानि0 168 को बाद हिदायत भेजा जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों को एवं परिवादी को साथ लेकर प्रथम मंजिल के कमरा नम्बर 09 के अन्दर पहुंचा जहां पर सामने चश्मा लगाये कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला तथा उसके दाहिने एवं बांये साईड में दो अन्य व्यक्ति बैठे हुये मिले तथा बीच में कुर्सी पर चश्मा लगाये बैठे हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही पवन श्रीवास्तव बाबूजी है, इस पर कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश चन्द श्रीवास्तव जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी शास्त्री नगर सेक्टर नम्बर 2 जिला धौलपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनः पंजीयन, वाहन नये व पुराने रजिस्ट्रेशन का कार्य)कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला धौलुपर होना बताया। जिससे परिवादी से अनुप प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाकर प्राप्त की गई 3000रुपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो पवन श्रीवास्तव ने बताया कि मैंने रिषीराज शर्मा से न तो कोई रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही आज किसी अनूप नाम के व्यक्ति को दिलवाकर प्राप्त की गई में अनूप नाम के व्यक्ति को जानता पहचानता नहीं हूं। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्रीरिषीराज शर्मा से आरोपी पवन श्रीवास्तव द्वारा लिये गये बचाव के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि पवन श्रीवास्तव बाबूजी ने मेरे टैक्टर के रजिस्ट्रेशन की फाईल पर हस्ताक्षर कर अप्रूवल के लिये भिजवाने के नाम पर 3000 रुपये दिनांक 20.09.2024 को वक्त सत्यापन मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.09.2024 को मुझसे 3000 रुपये अपने पास बैठे अनूप नामक प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाकर प्राप्त किये है। अनूप नाम का व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं है शायद वह यहां से निकल कर चला गया। इसके बाद पुनः परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में पवन श्रीवास्तव से पूछा गया तो उसने पूर्व के कथनों के अलावा कोई नई बात नही बताई तत्पश्चात आरोपी पवन श्रीवास्तव की जामा तलाशी गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से लिवाई गई तो उसके पास कोई रिश्वत राशि आदि नहीं मिली एक मोबाईल आईफोन एपल कम्पनी का बरंग काला जिस पर पीछे की तरफ एपल का लोगो लगा हुआ है मिला जिसका स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। जिसके नम्बर पूछने पर आरोपी पवन श्रीवास्तव ने स्क्रीन लॉक नम्बर 5050 होना बताया जाने पर स्क्रीन लॉक को खोलकर मोबाईल चैक किया तो उक्त मोबाईल में दो सिम नम्बर क्रमशः [redacted] एयरटेल कम्पनी एवं [redacted] जियो कम्पनी की सिम लगी हुई है। जिससे से अनूप के मोबाईल नम्बर के बारे मे पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया जिस पर मोबाईल के कांटेक्ट डिटेल चैक किया तो उसमें अनूप डीएलपी के नाम से मोबाईल नम्बर [redacted] सेव होना पाया गया तथा व्हाटसएप कॉल चैक करने पर दिनांक 27.08.2024 से कोई व्हाटसएप कॉल होना नहीं पाई गई, आरोपी पवन श्रीवास्तव के उक्त मोबाईल फोन एप्पल को सिम सहित प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से मोबाईल का स्विच ऑफ कराकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात आरोपी पवन श्रीवास्तव के पास आरोपी के पास रिश्वत राशि नही मिलने पर उसके कार्य करने की टेबल के उपर रखे कागजातो व टेबिल की दराजो की जरिये गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से तलाशी लिवाई गई एवं जाप्ता के सहयोग से उक्त आरोपों के कमरे में तलाश करवाया गया किन्तु रिश्वत राशि नहीं मिली तत्पश्चात उक्त कमरे में मौजूद मिले दो अन्य व्यक्तियों से उनके नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम अमित पुत्र श्री सरवनलाल जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी कायस्थ पाडा धौलपुर (प्राईवेट व्यक्ति) होना बताया एवं श्री पवनश्रीवास्तव बाबूजी द्वारा अपने छोटे-मोटे काम करने के लिये अपने पास रखना बताया। जिसकी जामा तलाशी गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से लिवाई गई तो कोई रुपया पैसा आदि नहीं मिले तत्पश्चात उसकी रखी हुई टेबल की दराज की तलाशी लिवाई गई किन्तु कोई राशि नहीं मिली तथा टेबल के नीचे रखी हुई डस्टबीन के अन्दर कुछ रुपये 500-500,100-100 के मिले जिन्हे गवाह से निकलवाकर चैक किया तथा गिनवाया तो कुल 2500 रुपये मिले जिनके नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया किन्तु रिश्वत नोट नहीं मिले उक्त राशि के बारे में श्री अमित ने पूछने पर बताया कि मैं आज घर से अपनी पत्नी की दवाई मेडिकल स्टोर से लेने के लिये उक्त राशि को अपने साथ लेकर आया था। जो मेरे पास थी किन्तु मैने आप लोगो के आ जाने से डर की वजह से उक्त राशि डस्टबीन में डाल दी। यह राशि मेरी स्वंय की है। जबाब संतोषजनक पाया जाने से उक्त राशि को वापस श्री अमित को लौटाया गया, तत्पश्चात दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नरेश सिंह परमार पुत्र श्री राजपाल सिंह जाति ठाकुर उम्र 39 साल निवासी अग्रसेन कालोनी बाडी थाना कोतवाली बाडी जिला धौलपुर हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर होना बताया जिसकी तलाशी जरिये गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से लिवाई गई तो कोई राशि बगैरा नहीं मिली तत्पश्चात उसके कार्य करने की टेबल की व रेको की तलाशी लिवाई गई तो कोई रुपया पैसा

आदि नहीं मिला। इसके बाद पवन श्रीवास्तव से एक बार पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसके द्वारा अपने पूर्व के कथनों के अलावा कोई बात नहीं बताई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक पवन श्रीवास्तव को हमराह मय गवाहन व परिवादी व मय ट्रेप पार्टी को लेकर कमरा नम्बर 6 के अन्दर पहुचां जहां पर पूर्व से जाप्ता के हमराह डिटेन किया हुआ पवन चंसोरिया कुर्सी पर बैठा मिला तथा उसके पास श्री कपिल कानिस्टेबल नं 168 खडा मिला उक्त व्यक्ति को देखकर परिवादी श्री रिषीराज शर्मा ने बताया कि ये ही पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति है जो जिला परिवहन अधिकारी एवं इंस्पेक्टरो की आईडी से वाहनो के रजिस्टेशनों को एप्रूवल करने का काम देखता है। इसने मुझसे मेरी टेक्टर की रजिस्टेशन की फाईल पर अभी कुछ देर पहले एप्रूवल करने के बदले में 300 रुपये रिश्वत में मांग कर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये है और टेक्टर की फाईल भी अपने पास रख ली। इस पर उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने हाथ जोडते हुये अपना नाम श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति बा्रहमण उम्र 42 साल निवासी चंसोरिया भवन जीटी रोड धौलुपर होना बताया एवं दिनांक 1 अप्रेल 2024 से पूर्व प्राईवेट कम्पनी एमटेक प्राईवेट कम्पनी के जरिये इस कार्यालय में फोल्डर आनलाईन चढाने का कार्य करना बताया जिससे परिवादी से प्राप्त की गई 300 रुपये की रिश्वत राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने इस रिषीराज शर्मा से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और ना ही मांग की है इसने आज अभी कुछ देर पहले अपने टैक्टर की फाईल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिये मुझे दी थी। जिसे मैं अप्रूवल कर ही रहा था की आप लोग आ गये। जिस पर उपस्थित परिवादी से आरोपी पवन चंसोरिया द्वारा दिये गये बचाब के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि पवन चंसोरिया ने मेरे टेक्टर रजिस्टेशन की फाईल जिला परिवहन अधिकारी व इंस्पेक्टरो की आईडी से अप्रवूल करने के बदले में 300 रुपये रिश्वत में मांग कर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रख लिये है और फाईल भी अपने पास रख ली है। इसके बाद पुनः एक बार पवन चंसोरिया से पूछताछ की गई तो उसने पूर्व में बताई गई बातों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। इसके बाद तत्पष्चात् गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद ट्रेप बौक्स के अन्दर से पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उनमें उक्त कमरे में रखे पानी से कैम्पर में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से ही एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH 1, RH.2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मामूली गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का मामूली गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH 1, LH 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद आरोपी श्री पवन चंसोरिया से धोवन का रंग गुलाबी आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि यह रंग कैसे आया है मैने कोई रिश्वत नहीं ली है। इसके बाद आरोपी श्री पवन चंसोरिया के बदन पर पहनी हुई शर्ट बरंग काला को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर कार्यालय स्टाफ के जरिये दूसरी शर्ट मंगवाकर पहनवाई गई। तत्पश्चात एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को गवाह श्री लक्ष्मीनारायण सैन से ट्रेप बाक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें उक्त कमरे में पानी से भरे रखे कैम्पर में से साफ पानी भरवाकर उसमें उक्त गवाह श्री लक्ष्मीनारायण सैन से उसके दोनो हाथ सावुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा के हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी पवन चंसोरिया के बदन से उतरवाई हुई शर्ट बरंग काला की सामने की बायी जेब को गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी समबनधीतो ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा डलवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क S .1 व S .2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री पवन चंसोरिया से शर्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने का कारण पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं रंगे गुलाबी कैसे आया है मैने कोई रिश्वत में इस रिषीराज शर्मा से 300 रूपये नहीं लिये है। तत्पष्चात उक्त शर्ट बरंग काला की धुलाई हुई बांयी साईड जेब को

सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क S अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया की पहनी हुई पैन्ट की जेबों की तलासी गवाह श्री बैनीप्रसाद वर्मा से लिवाई गई तो पैन्ट की जेबों में एक मोबाईल फोन सेमसंग ग्लेक्सी एम 34 5जी बरंग सिलवर का मिला जिसका स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। जिसके नम्बर पूछने पर आरोपी पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया ने स्क्रीन लॉक नम्बर 1222 होना बताया जाने पर स्क्रीन लॉक किया तो उक्त मोबाईल में दो सिम नम्बर क्रमशः [redacted] एवं [redacted] की सिम लगी हुई है। जिससे से अनूप के मोबाईल नम्बर के बारे मे पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया जिस पर मोबाईल के कांटेक्ट डिटेल चैक किया तो उसमें अनूप सिंघल के नाम से मोबाईल नम्बर [redacted] एवं पवन श्रीवास्तव के नाम से मोबाईल नम्बर [redacted] सेव होना पाया गया तथा व्हाटसएप कॉल एवं साधारण कॉल चैक करने पर पवन श्रीवास्तव से एवं अनूप सिंघल से उनके मोबाईल नम्बरो पर साधारण कॉल होना पाई गई किन्तु व्हाटसएप कॉल होना नहीं पाई गई, आरोपी पवन कुमार शर्मा उर्फ चन्सोरिया के उक्त मोबाईल फोन को सिम सहित प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से मोबाईल का स्विच ऑफ कराकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, इसके बाद पंवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया से तसल्ली देकर एक बार पुनः परिवादी से रिश्वत में 300 रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो उसने हाथ जोडकर बताया कि मैने 300 रूपये जेब से निकाल कर खिडकी से बाहर फैक दिये है अब पता नहीं कहां है इस पर खिडकी से बाहर जाप्ता के हमराह तलाश करवाया किन्तु राशि नहीं मिली, परिवादी के कथनानुसार अनूप नामक प्राईवेट व्यक्ति की जाप्ता के सहयोग से तलाश करवाई गई किन्तु बाबजूद तलाश नहीं मिला, और मौके रिश्वत राशि 3300 रूपये को लेकर फरार हो गया, इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी रिषीराज शर्मा से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित) को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकारडर में रिष्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, वाईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आरोपी श्री पवन चंसोरिया से परिवादी श्री रिषीराज शर्मा के टैक्टर रजिस्ट्रेशन संबंधी फाईल के बारे में पूछा तो उसने अपने सामने रखी काम करने के टेबिल की रैंक के अन्दर से परिवादी के टैक्टर रजिस्ट्रेशन की मूल फाईल निकालकर पेश की जिसकी फोटो प्रति कराकर सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराकर मूल फाईल लोटाई जाकर फोटो प्रमाणित प्रतियो को पृथक से जरिये फर्द जप्ती जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादीएवं आरोपीगण श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव एवं पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चन्सोरिया से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर तीनों ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 30 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। उपर्युक्त कार्यवाही की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये केशव देव कानि0 नम्बर 600 से बीडीयोग्राफी कराई गई। इसके बाद परिवादी की लिखित रिपोर्ट दिनांक 05.09.2024 तथा रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.09.2024 व 10.09.2024 से सामने आये तथ्यों के क्रम में भूदेव त्यागी सूचना सहायक, पिंटू उर्फ अविनाष मिश्र्रा (प्राईवेट व्यक्ति), देवेन्द्र मुदगल क0 सहायक, उत्तमचन्द गोयल को वास्ते पूछताछ कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर में तलाष करवाया गया किन्तु उपस्थित नहीं मिले। इसके बाद समय 06.20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर पूर्ण रोशनी में घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया तथा रिष्वत राषि लेकर फरार हुये श्री अनूप नामक प्राईवेट व्यक्ति को जाप्ता के हमराह कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के आस-पास एवं उसके संम्भावित स्थानों पर भेजकर तलाश करवाई किन्तु नहीं मिला, और नांही कोई जानकारी प्राप्त हुई, जिला परिवहन अधिकारी श्री देवानन्द वैरवा को मौके पर उपस्थित आने के लिये उसके मोबाईल फोन नम्बर [redacted] प्राप्त कर फोन किया किन्तु फोन स्विच ऑफ आया तत्पष्चात डयूटी इन्सपैक्टर श्री धर्मपाल सिंह को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] प्राप्त कर फोन किया गया तो घंटी जाने के बाद उसके द्वारा फोन स्विच ऑफ कर लिया गया और नां ही कार्यालय में हाजिर आये। इसके बाद आरोपी श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी का सेवा विवरण प्रोफार्मा में प्राप्त किया गया तत्पष्चात समय 08.15 पीएमः पर आरोपी श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला धौलपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएस में एवं समय 08.30 पीएम पर आरोपी श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया (प्राईवेट व्यक्ति) को अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61 (2) बीएनएस में नियमानसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिव की गई एवं नियमानुसार गिरफ्तारी की सूचना दी गई। इसके बाद आरोपी श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी एवं श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया से अलग अलग एक बार पुनः रिष्वत राशि रिष्वत राशि के बारे में पूछताछ की गई किन्तु उसने कोई सही जबाब नहीं दिया। विस्तृत पूछताछ नोट पृथक से मुर्तिव किये गये। इसके बाद अनूप नामक प्राईवेट व्यक्ति का पूर्ण पता अनूप अग्रवाल पुत्र श्री भीखाराम जाति वैष्य उम्र 57 साल निवासी संतर रोड कुमेरदान का बाडा धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर (प्राईवेट व्यक्ति) होना गोपनीय जानकारी पर ज्ञात होने पर मुलाजमानों को

उसके आवास पर भेजकर तलाश करवाई गई किन्तु नहीं मिला। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने आरोपी पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया (प्राईवेट व्यक्ति) ने जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर के कमरा नम्बर 6 में अपने कार्य करने की टेबल की रेक के अन्दर से पेश शुदा परिवादी के पैंडिग कार्य सम्बन्धी टैक्टर रजिस्ट्रेशन संबंधी फाईल पेज 01 लगायत 22 के समस्त दस्तावेजो की फोटोप्रति करवाई गई। किन्तु जिला परिवहन अधिकारी व ड्यूटी इंसपेक्टर दोनो ही तलबी के बाबजूद उपस्थित नही आने से फोटोप्रतियां प्रमाणित नही हो पाई परिवादी का कार्य बाधित नही हो के मध्यनजर रखते हुए मूल फाईल नरेश सिंह परमार सहायक प्रोग्रामर को बाद हिदायत सुपुर्द की गई व फोटोप्रतियों को वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, फाईल की फोटो प्रतियों को आईन्दा संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करवाया जावेगा। इसके बाद समय 11.30 पीएम पर परिवादी से उसकी मोटरसाईकिल उसके परचित व्यक्ति को दिलवाई जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री रिषीराज शर्मा एवं गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति को मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा बजह सबूत माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटाप मय प्रिंटर, कैमरा, वाईस रिकार्ड आदि के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनो से घटनास्थल कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर से लेकर रवाना होकर दिनांक 24.09.2024 को समय 01.30 ए.एम. पर ए.सी.बी. चैकी करौली वापस आया तथा वजह सबूत को श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगणों को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद परिवादी से पूर्व में प्राप्त शुदा वाईस रिकार्डर पैनड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 23.09.2024 को आरोपी श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी व अनूप अग्रवाल प्राईवेट व्यक्ति व श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया प्राईवेट व्यक्ति की परिवादी श्री रिषी राज शर्मा से वक्त रिश्वत लेन-देन हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में विभागीय लेपटाप से कनेक्ट कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं सुनाया जाकर एवं आवाज की पहचान परिवादी से कराई जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण केशव देव कानि0 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटाप की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-बी-1 न्यायालय प्रति, एवं एक मुलजिम प्रति डीबीडी राईटेक्स कम्पनी मार्क-बी-2 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी राईटेक्स कम्पनी मार्क-बी-3 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-बी-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-बी-2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी को वाईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके बाद गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये कैशवदेव कानि0 600 से सरकारी बीडीयो कैमरा में करवाई गई बीडीयोग्राफी की दो डीबीडीयां संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी-1 व सी-2 अंकित करवाकर डीबीडी मार्क-सी-1 को कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क-सी-2 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिव की गई। इसके बाद बजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 30 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा शील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रखवाकर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस-30 अंकित किया जाकर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समस्त बजह सबूत को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली गिरफतार शुदा अभियुक्गणों को लेने के लिये भेजा गया जो दोनो अभियुक्तों को कोतवाली करौली हवालात से प्राप्त कर कार्यालय उपस्थित आये, अभियुक्तगण को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया, तथा दोनो अभियुक्तगण श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी व श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया से गबाहान के सामने रिष्वत राषि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किये गये। इसके बाद दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। दोनो गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष विषिष्ठ न्यायालय भ्र0 नि0 अधि0 भरतपुर में वास्ते पीसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द श्रीवास्तव, उम्र 50 वर्ष, जाति कायस्त, निवासी शास्त्रीनगर, सैक्टर नम्बर 02 ,पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर हाल अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनः पंजीयन, वाहन नये व पुराने रजिस्ट्रशन का कार्य) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला धौलपुर, द्वारा स्वयं का लोक

सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री रिषीराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा जाति बा्रहमण, उम्र 26 साल निवासी पूरन विहार कॉलोनी ओंडेला रोड धौलपुर जिला धौलपुर से उसके द्वारा आगरा (उत्तर प्रदेश) से क्रय किये गये ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन को करने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.09.2024 को 3000 रूपये की रिष्वत राशि स्वयं के लिये मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 23.09.2024 को परिवादी से कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर के कमरा नम्बर 09 के अन्दर अनूप अग्रवाल (प्राईवेट व्यक्ति) को 3000 रूपये दिलवाकर प्राप्त करते हुये एवं श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति बा्रहमण उम्र 42 साल निवासी चंसोरिया भवन जीटी रोड धौलपुर (डीटीओ व इन्सपेक्टरों की आइडी से रजिस्ट्रशन एपू्रवल का कार्य करना प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी से उसकी टैक्टर रजिस्ट्रेषन की फाईल लेकर रजिस्ट्रेशन एप्रूबल करने की एबज में 300 रूपये बतौर रिष्वत मांग कर प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली आरोपी श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया के कब्जे से बरामद होना तथा अनूप अग्रवाल (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा परिवादी को चैनल गेट से ईशारा करते हुये देखकर रिष्वत राशि 3000 व 300 कुल 3300 रूपयो को लेकर मौके से फरार हो जाना जो बाबजूद अथक प्रयास तलाश नहीं मिलना तथा राषि को खुर्दबुर्द किया जाना प्रथम द्रष्टया पाया गया है। उक्त मामले में रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.09.2024, 10.09.2024 में अंकित तथ्यो के क्रम में उत्तमचन्द गोयल सहायक लेखाधिकारी, भूदेव त्यागी सूचना सहायक, देवेन्द्र मुदगल कनिष्ठ सहायक परिवहन विभाग धौलपुर, एवं पिंटू उर्फ अविनाष मिश्र्रा (प्राईवेट व्यक्ति), की भी भूमिका संदिग्ध है जिसकी वक्त अनुसंधान जांच की जावेगी। अतः 1-श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द श्रीवास्तव, उम्र 50 वर्ष, जाति कायस्त, निवासी शास्त्रीनगर, सैक्टर नम्बर 02 ,पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनः पंजीयन, वाहन नये व पुराने रजिस्ट्रेशन का कार्य) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला धौलपुर, 2- श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति बा्रहमण उम्र 42 साल निवासी चंसोरिया भवन जीटी रोड धौलपुर (डीटीओ व इन्सपेक्टरों की आइडी से रजिस्ट्रशन अप्रूवल का कार्य करना प्राईवेट व्यक्ति), 3-श्री अनूप अग्रवाल पुत्र श्री भीखाराम जाति वैष्य उम्र 57 साल निवासी संतर रोड कुमेरदान का बाडा धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व धारा 61(2), व धारा 238 बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्र नि ब्यूरो करौली..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व धारा 61(2), व धारा 238 बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री पवन कुमार उर्फ पवन श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द श्रीवास्तव, उम्र 50 वर्ष, जाति कायस्त, निवासी शास्त्रीनगर, सैक्टर नम्बर 02 ,पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना, पुनः पंजीयन, वाहन नये व पुराने रजिस्ट्रेशन का कार्य) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला धौलपुर, 2-श्री पवन कुमार शर्मा उर्फ पवन चंसोरिया पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति बा्रहमण उम्र 42 साल निवासी चंसोरिया भवन जीटी रोड धौलपुर (डीटीओ व इन्सपेक्टरों की आइडी से रजिस्ट्रशन अप्रूवल का कार्य करना प्राईवेट व्यक्ति), 3-श्री अनूप अग्रवाल पुत्र श्री भीखाराम जाति वैष्य उम्र 57 साल निवासी संतर रोड कुमेरदान का बाडा धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 371 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1149-52 दिनांक 24-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर। 2-परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्विवीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I
Date: 2 /2024

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	18/03/1974				
2	Male	1982				
3	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)